



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 15,000 रुपये का इनामिया एससीएसटी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

मोहम्मदी पुलिस द्वारा 15000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु प्राप्तशुदा दिशा निर्देश के अनुपालन में एव श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28/10/2020 को थाना मोहम्मदी के प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ.नि. श्री अरुण कुमार, उ.नि. श्री कृपेन्द्र सिंह, का0 सतेन्द्र चौधरी, का0 नवनीत यादव के देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/वारण्टी में ग्राम बिचपरी में मामूर थे तभी मुखबिर की सूचना पर पुवायां रोड, बाँआ मोड के पास से अभियुक्त मशीउल्ला पुत्र हफीजुल्ला नि0 ग्राम बेला तुरसिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 243/2020 धारा 34/302 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT है। उक्त अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार करीब 07 माह से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण

मशीउल्ला पुत्र हफीजुल्ला नि0 ग्राम बेला तुरसिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 243/2020 धारा 34/302 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना मोहम्मदी - खीरी गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1- श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक थाना-मोहम्मदी, खीरी।
- 2- उ.नि. श्री अरुण कुमार
- 3- उ.नि. श्री कृपेन्द्र सिंह
- 4- का0 सतेन्द्र चौधरी
- 5- का0 नवनीत यादव

सर्व थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।

(ब्रजेश कुमार त्रिपाठी)

प्रभारी निरीक्षक

थाना- मोहम्मदी, खीरी।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 870 ग्राम गांजा सहित 01 अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 28-10-20 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा ग्राम हरदी नयापुरवा मोड़ से अभियुक्त शिव शंकर चौहान उर्फ मुंडे पुत्र पैकरमा निवासी ग्राम नयापुरवा मजरा हरदी थाना धौरहरा खीरी को 870 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

**थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवा को अवैध तमंचे व कारतूस सहित
किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा दिनांक 28.10.20 को अभियुक्त शिवा उर्फ शिवशरण पुत्र रामनरेश नि० ढाकनपुर थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 331/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० पंजीकृत किया गया।

**थाना भीरा पुलिस द्वारा, संगठित रूप से गोवध करने वाले गिरोह के 04
शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट कार्यवाही**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दौरान थाना भीरा पुलिस द्वारा, आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर संगठित रूप से गोवध जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों 1.लच्छी उर्फ लछिया पुत्र पीर बक्श बंजारा 2.चांद खाँ पुत्र गिरधारी बंजारा 3.वसीर पुत्र हसना बंजारा 4.कल्लू पुत्र पीरबक्श बंजारा नि०गण हासिमटाण्डा थाना भीरा जनपद खीरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मु०अ०सं० 476/2020 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना भीरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भीरा पुलिस द्वारा दिनांक 27.10.20 को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. संजीव कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश नि० शंकरपुर थाना भीरा खीरी 2. सत्यदेव पुत्र रामगुलाम 3. संजीव कुमार पुत्र शिवकुमार नि०गण बिजुआ थाना भीरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2390/- रु० नकद, 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 475/20 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1172/20 धारा 323/308 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त सुरेश पुत्र रामस्वरूप नि0 गुलरिया थाना भीरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1176/20 धारा 147/353/504/379/ भादवि व ¾ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. विकास वर्मा पुत्र उत्तम नि0 रिछिन थाना हरगांव जनपद सीतापुर 2. रितेश जयसवाल पुत्र शत्रोहन लाल नि0 रामपुर बरोरा थाना हरगांव जनपद सीतापुर 3. अनिल पुत्र जितेन्द्र नि0 ईसेपुर थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/20 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त अनिकेत दास पुत्र अनूकूल दास नि0 कृष्णा नगर थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
4. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 382/20 धारा 307/323/5048/506 भादवि0 3(2)v एससी एसटी एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त रामपाल यादव पुत्र श्यामलाल नि0 मैनहाघाट थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **40 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 शराब भट्टी बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना तिकुनिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना निघासन	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	40 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार